संख्या 62 / XVII(1) / 2005–429(समाज कल्याण) / 2002

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 26 मई, 2005

विषय: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत, उत्पीड़ित व्यक्तियों अथवा उनके परिवार को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या वा / अ.नि.–स.क. / पत्रा / 04 दिनांक 1.6.2004, पत्र संख्या 1605 / स.क. / अत्याचार निवा–18 / 2004–05 दिनांक 25.9.2004 एवं पत्र संख्या 2294 / स.क. / XVII(1) / 2004–429(स.क.) / 2004 दिनांक 18.11.2004 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के क्रम में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार के अत्याचारों से मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मृतक के आश्रितों को निम्न प्रकार सहायता प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. मृतक के जीवित जीवन साथी को रू. 1,000/– भरण पोषण अनुदान प्रतिमाह।
2. यदि मृतक परिवार की आय का मुख्य स्रोत रहा हो तो मृतक पर आश्रित –
   (क) प्रत्येक अवयस्क पुत्र–पुत्रियों, यदि हो तो, को रू. 1,000/– भरण पोषण अनुदान प्रतिमाह।
   (ख) 60वर्ष से अधिक के माता–पिता, यदि मृतक पर आश्रित हो तो, को रू. 1,000/– भरण पोषण अनुदान प्रतिमाह। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि उनको किसी अन्य स्रोत से भी कोई पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उक्त भरण–पोषण अनुदान अथवा प्राप्त पेंशन में से जो भी कम हो, वह अनुमन्य नहीं होगी।
3. मृतक के अवयस्क पुत्र पुत्रियों, यदि हो तो, को प्रदेश में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था अनुमन्य होगी।

2. उक्त उपप्रस्तर–1 व 2 के अनुसार देय भरण पोषण अनुदान की राशि अनन्तिम होगी। यदि प्रकरण पर प्रचलित वाद में न्यायालय इस उत्पीड़न का मामला नहीं पाती है, तो भरण पोषण अनुदान राशि का भुगतान समाप्त कर दिया जाएगा किन्तु भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं होगी। उक्त भरण पोषण अनुदान राशि मृतक की विधवा को आजीवन अथवा पुनर्विवाह तक, माता–पिता को आजीवन तथा पुत्र–पुत्रियों को वयस्क होने तक प्राप्त होगी। उक्त उपप्रस्तर–1, 2 व 3 में निहित तथ्यों का समुचित सत्यापन करा लिया जाए।

3. यह व्यवस्था इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी किन्तु ऐसे प्रकरण, जिनका अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है, उनको भी इस शासनादेश में निहित प्राविधानों से आच्छादित किया जाएगा।

क्रमशः 2...

NIC-182

4- शासनादेश संख्या 4578/26-3-95-4(256)/94 दिनांक 17अक्टूबर, 1995 के क्रमांक-21 में निहित व्यवस्था को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा किन्तु शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-03-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 के.स.) के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 06/XXVII(2)/2005 दिनांक 20मई 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 62(1)/XVII(1)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उपसचिव।

260505006 Pdf